न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट वजीरपुर
जिला सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री अमित कुमार मीना, आर0ए0एस0

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
132/2024	8.07.2024	19.6.2025

शांतिदेवी पत्नी शिवचरण, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर ——प्रार्थिया

बनाम

1. कमलेश पुत्र धुन्धी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
2. घनश्याम पुत्र धुन्धी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
3. जगदीश पुत्र धुन्धी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
4. सुगनी पत्नी धुन्धी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
5. अमृत पुत्र जगन, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
6. कम्पूरी पत्नी जगन, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
7. घनश्याम पुत्र जगन, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
8. धनसिंह पुत्र जगन, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
9. ओमी पुत्र चिंरजी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
10. रामचरण पुत्र प्रभू, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
11. लड्डू पुत्र छुट्टन, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
12. ओमप्रकाश पुत्र चिरंजी, मीना निवासी पीलौदा तह0 वजीरपुर
13. लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर ——अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राज0 अधिनियम

उपस्थित :– श्री संजय शर्मा, एड., प्रार्थिया की ओर से।

निर्णय

प्रार्थिया ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया है कि प्रार्थिया की सहखातेदारी की भूमि ख0न0 3203 रकबा 0.21 है0, 3206 रकबा 0.11 है0, ख0न0 5416 रकबा 0.15 है0, ख0न0 5417 रकबा 0.70 है0, ख0न0 5485 रकबा 0.56 है0, ख0न0 5757 रकबा 0.97 है0, ख0न0 5768 रकबा 1.04 है0, ख0न0 5769 रकबा 1.04 है0, ख0न0 5770 रकबा 2.65 है0 ग्राम पीलौदा तह0 वजीरपुर मे स्थित हें प्रार्थिया का हाल जमाबंदी मे 1/5 काबिज काश्त हैं किसी दीगर व्यक्ति का प्रार्थिया के हिस्से से कोई सरोकार वास्ता नही है। उक्त आराजी मे मौखिक विभाजन के अनुसार ख0न0 5770 रकबा 2.65 है0 प्रार्थिया की हिस्से मे आया है। जिस प्रार्थिया काबिज काश्त रहकर लाभान्वित हो रही है। प्रार्थिया की उक्त भूमि के पूर्व दिशा मे आम रास्ता, पश्चिम दिशा मे अमृत मीना पुत्र जगन, उत्तर दिशा मे ओमी पुत्र चिंरजी मीना तथा दक्षिण दिशा मे रामचरण पुत्र प्रभू व लड्डू मीना पुत्र छुट्टन की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थिया की उक्त भूमि की डोल मेड को को पडौसी खातेदार अप्रार्थी संख्या 5 तोड कर प्रार्थिया को परेशानप करता रहता है। जिसकी वजह से प्रार्थिया ने अपनी कृषि भूमि ख0न0 5770 की नाप हेतु तहसीलदार वजीरपुर को प्रार्थना पत्र प्रस्तु किया था। जिस पर तहसीलदार वजीरपुर द्वारा दिनांक 26.6.2024 को टीम बनाकर नाप करने हेतु आदेश दिया। दिनांक 27.6.2024 को पडौसी खातेदार अमृत मीना ने पुलिस

Scanned with OKEN Scanner

की मोजूदगी मे राजस्व कार्मिकों को सीमा चिन्हो पर निशान नही लगाने दिये इसलिए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थिया की भूमि ख0न0 5770 रकबा 2.65 है0 ग्राम पीलौदा की तहसीलदार वजीरपुर की मौजूदगी मे नाप करवा कर पुलिस सहयोग से पत्थरगढी के आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थिया ने नकल जमाबंदी सं0 2074 से 2077 खाता संख्या 828, 29, 142, 634, ग्राम पीलौदा, नकल फर्द रिपोर्ट दिनांक 27.6.2024 प्रस्तुत किए है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बाबजूद सूचना उपस्थित नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वकील प्रार्थिया को सुना गया।

प्रार्थिया के विद्वान अभिभाषक ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुरूप बहस करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। फोटोकोपी फर्द रिपोर्ट दिनांक 27.06.2024 से स्पष्ट है कि प्रार्थिया को उसकी भूमि ख0न0 5770 रकबा 2.65 है0 ग्राम पीलौदा का सीमाज्ञान कराया जा चुका है परन्तु प्रार्थिया का पडौसी काश्तकारों से विवाद बने रहने की संभावना है। ऐसी स्थिति में प्रार्थिया अपनी खातेदारी भूमि ख0न0 5770 रकबा 2.65 है0 ग्राम पीलौदा की पत्थरगढी कराने की अधिकारी हैं।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं लैण्ड होल्डर तहसीलदार वजीरपुर को आदेश दिया जाता है कि वह प्रार्थिया को उसकी खातेदारी भूमि ख0न0 5770 रकबा 2.65 है0 ग्राम पीलौदा पर पत्थरगढी करावें। निर्णय की एक प्रति पालना हेतु तहसीलदार लैण्ड होल्डर वजीरपुर को भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.6.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(अमित कुमार मीना)
उप जिला कलक्टर
वजीरपुर

Scanned with OKEN Scanner